न्यायालय उप जिला कलेक्टर महवा, जिला दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
शिमला वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा मु.सं. 128/19	

दिनांक 05–03–2020

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि वादिया का उपरोक्त उनवानी दावा दिनांक 26–09–2020 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादिया न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। वादिया का प्रकरण में हित निहित है। अतः वादिया के वाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाद तामील भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादीगण का हित निहित है तथा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना उचित समझते है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।